न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – अरविन्द कुमार पोसवाल (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
012/2022(रसद) (GCMS 2022/190)	24.06.2022	21.09.2022

अनवान

राजस्थान सरकार जरिये मनजीत सिंह प्रवर्तन निरीक्षक, चित्तौड़गढ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रार्थी

बनाम

नारायण सिंह पिता नवल सिंह चौहान निवासी चौकिया तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़।

विपक्षीगण

उपस्थिति :– प्रवर्तन अधिकारी ललित जोशी — पैरोकार सरकार अधिवक्ता विपक्षी

प्रार्थना अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए सपठित MS & HSD ऑर्डर 2005 में जब्तशुदा सामग्री के निस्तारण बाबत्

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रवर्तन अधिकारी मनजीत सिंह, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रार्थना अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए सपठित **MS & HSD** ऑर्डर 2005 में जब्तशुदा सामग्री के निस्तारण बाबत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 06.01.2022 को जिला रसद अधिकारी द्वारा दूरभाष पर सूचना दी गई सूचना के अनुसार गंगरार नेशनल हाई–वे स्थित होटल दशमेश जो गांव चौकिया के अन्तर्गत आता है। उक्त होटल पर अवैध पेट्रोलियम उत्पाद के भंडारण एवं अवैध विक्रय की सूचना मिलने पर मौके पर तहसीलदार गंगरार नरेश कुमार गुर्जर हमराह मनजीत सिंह प्रवर्तन अधिकारी गंगरार मौके पर पहुँचें। मौका मुआयना करने पर पाया कि होटल परिसर में अवैध रूप से पेट्रोलियम उत्पाद मिला। पूछताछ करने पर उक्त होटल के बारे में पता चला कि यह होटल नारायण सिंह पुत्र नवल सिंह चौहान निवासी चौकिया तहसील गंगरार का मालिकाना हक होना बताया गया। मौक पर पास ही स्थित पेट्रोल पम्प से नाप का गेज मंगाकर पेट्रोलियम उत्पाद का नाप–चौक करने पर कुल 285 लीटर पेट्रोलियम उत्पाद पाया गया जिसका विवरण विवरण है। लाल रंग का ड्रम –60 लीटर, प्लास्टिक नीली रंग केन –20 लीटर, प्लास्टिक सफेद केन –15 लीटर, काले रंग की प्लास्टिक केन –40 लीटर, नीली प्लास्टिक केन –50 लीटर, प्लास्टिक का बडा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

ड्रम नीला –100 लीटर कुल 285 लीटर उक्त डीलर के अलावा ड्रम लोहे का लाल रंग का तथा एक बिजली की मोटर 0.5 एचपी जिस पर **SABAR CO** नाम अंकित है। उसके साथ हरे रंग की एक प्लास्टिक पाईप 20 फीट की मौके पर मिली। मौके पर होटल मालिक अथवा अन्य कोई होटल पर व्यक्ति मौजूद नहीं मिला। इस प्रकार प्रथम दृष्टया पेट्रोलियम उत्पाद का अवैध कारोबार यथा भंडारण विक्रय होना प्रतीत होने पर उक्त पेट्रोलियम पदार्थ व उपकरणों को कब्जे में लिया गया तथा मौके पर इण्डियन ऑयल कम्पनी के सेल्स अफसर सरिता मीणा से दूरभाष पर वार्ता कर पेट्रोलियम पदार्थ के सेम्पल लेने के लिये सेम्पल बॉक्स मंगवाकर मौके पर तीन सेम्पल लिये गये जिसका विवरण है। सेम्पल ए–1 9562628 (सील अन्दर) 9562612 (सील बाहर), ए–2 9562601 (सील अन्दर) 9562614 (सील बाहर) एवं ए–3 9562640 (सील अन्दर) 9562615 (सील बाहर) है। उक्त तीनों सेम्पल तैयार किये गये। चूंकि मौके पर किसी भी प्रकार के पेट्रोलियम पदार्थ कारोबार के कागजात या साक्ष्य उपलब्ध नहीं होने से स्पष्ट रूप से गैर–कानूनी पेट्रोलियम पदार्थ विक्रय/भंडारण होने के कारण आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 एवं मोटर स्पिरिट एवं हाई स्पीड डीजल (आपूर्ति वितरण का विनियमन और कदाचारों की रोकथाम आदेश 2005 के खण्ड 3(5) सपठित खण्ड 4 के तहत) जब्त किया गया। अंत में प्रार्थना की गई कि प्रकरण में अभिग्रहित लाल रंग का ड्रम 60 लीटर प्लास्टिक नीली रंग केन 20 लीटर, प्लास्टिक सफेद केन 15 लीटर, नीली प्लास्टिक केन 50 लीटर, प्लास्टिक का बडा ड्रम नीला 100 लीटर को राजसात कराने की कृपा करावें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सूचना पत्र मय नकल प्रार्थना पत्र के तलब किया गया। दिनांक 14.09.2022 को विपक्षी की और से अधिवक्ता हाजिर आये एवं अधिकार पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली है। दिनांक 21.09.2022 को हाजिर अधिवक्ता ललित जोशी ने किसी भी प्रकार से लिखित अभिवचन प्रस्तुत नहीं कर सीधे बहस पत्रावली का निवेदन किया।

इस पर पत्रावली को उभयपक्ष की सहमति से वास्ते बहस नियत किया गया। इस पर हाजिर उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पत्रावली को सुना गया। हाजिर पैरोकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि विपक्षी द्वारा अवैध रूप से बाहरी राज्यों से पेट्रोलियम पदार्थ यहां लाकर अन्य टैंकरों में निकाल कर खरीद फरोक्त का धन्धा करना तथा पेट्रोलियम पदार्थ का अवैध परिवहन एवं भण्डारण करने के साथ ही अवैध तरीके से विक्रय करना, पेट्रोलियम पदार्थ भरने तथा खाली करने के उपकरणों को अवैध तरीके से रखने का किया गया कृत्य पेट्रोलियम पदार्थ की अवैध रूप से कालाबाजारी करने से संबंधित होने एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध होने से जब्तशुदा पेट्रोलियम पदार्थ को राजसात करने का आदेश फरमाया जावे। इस पर विद्वान अधिवक्ता विपक्षी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार कर बताया कि विपक्षी का

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उक्त प्रकरण एवं जब्तशुदा पेट्रोलियम पदार्थ एवं अन्य सामग्री से उनका कोई लेना देना नहीं होना अवगत कराया गया। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता विपक्षी ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पत्रावली का चिंतन–मनन किया। पत्रावली वास्ते निर्णय रिजर्व की गई।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। हमने पत्रावली का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। उभयपक्ष की बहस पर चिंतन–मनन किया। विपक्षी द्वारा डीजल पेट्रोलियम पदार्थ अपने पास रख भण्डारण करने, विक्रय करने तथा परिवहन करने संबंधी कोई वैध दस्तावेज व लाईसेंस नहीं होना स्वीकार किया एवं जब्तशुदा डीजल पदार्थ को कब्जे राज लिये जाने के संबंध में विपक्षी को किसी भी प्रकार से कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया गया है, ऐसी स्थिति में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं साक्ष्य के आधार पर विपक्षी द्वारा बाहर से अवैध रूप से टैंकरों में डीजल भरकर लाना तथा अवैध तरीके से अपने कब्जे में रखना, विक्रय करना, पेट्रोलियम पदार्थ का अवैध परिवहन, भण्डारण तथा उनकी कालाबाजारी करना प्रमाणित/सिद्ध पाया जाने से अभिग्रहित लाल रंग का ड्रम 60 लीटर प्लास्टिक नीली रंग केन 20 लीटर, प्लास्टिक सफेद केन 15 लीटर, नीली प्लास्टिक केन 50 लीटर, प्लास्टिक का बडा ड्रम नीला 100 लीटर राजसात किये जाने योग्य है, ऐसी स्थिति में पुलिस थाना गंगरार में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट 008/2022 दिनांक 06.01.2022 में जब्तशुदा सामग्री का निस्तारण किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है एवं पुलिस थाना गंगरार में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट 008/2022 दिनांक 06.01.2022 में अभिग्रहित लाल रंग का ड्रम 60 लीटर प्लास्टिक नीली रंग केन 20 लीटर, प्लास्टिक सफेद केन 15 लीटर, नीली प्लास्टिक केन 50 लीटर, प्लास्टिक का बडा ड्रम नीला 100 लीटर को राजसात करने के आदेश दिये जाते हैं। जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ उक्त अभिग्रहित लाल रंग का ड्रम 60 लीटर प्लास्टिक नीली रंग केन 20 लीटर, प्लास्टिक सफेद केन 15 लीटर, नीली प्लास्टिक केन 50 लीटर, प्लास्टिक का बडा ड्रम नीला 100 लीटर थानाधिकारी, पुलिस थाना गंगरार से प्राप्त कर, नियमानुसार निस्तारण कर, प्राप्त आय राजकोष में जमा करा, पालना से अवगत करावें। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ एवं थानाधिकारी पुलिस थाना गंगरार को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **21.09.2022** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official